R.M.M. Law College - Saharsa.
Manvendra Mandal
Part time Lecturer
Subject - Contract - I
Part - I

प्रस्थापना अथवा प्रस्ताव के लिए निमंत्रण में अन्तर
(Difference between offer and Invitation to offer)

(i) प्रस्थापना अथवा प्रस्ताव किसी निश्चित व्यक्ति से की जाती है। प्रस्थापना के लिए निमंत्रण निश्चित व्यक्ति से न होकर सार्वजनिक होता है।

(ii) प्रस्थापना दूसरे व्यक्ति की अनुमति या सहमति प्राप्त करने के आशय से की जाती है, जबकि प्रस्थापना के लिए निमंत्रण का उद्देश्य दूसरे व्यक्ति की अनुमति या सहमति प्राप्त करना न होकर, उस व्यक्ति से किसी बात की सूचना परिचालित करना होता है कि सूचना के आधार पर, यदि वह चाहे तो प्रस्थापना कर सकता है।

(iii) प्रस्थापना किसी बात को करने या नहीं करने के उद्देश्य से की जाती है। प्रस्थापना के लिए निमंत्रण में ऐसी बात नहीं होती।

(iv) प्रस्थापना से दो पक्षों के बीच विधिक सम्बन्ध स्थापित होता है। प्रस्थापना के लिए निमंत्रण पक्षकारों में विधिक सम्बन्ध स्थापित नहीं करता।

(v) प्रस्थापना प्रतिग्रहण के बाद प्रतिज्ञा में परिवर्तित हो जाती है। प्रस्थापना के लिए निमंत्रण में जब दूसरा पक्षकार सूचना के बाद शर्तें स्वीकार करते हुए सहमति व्यक्त करता है तो प्रस्थापना करता है।

प्रस्थापना के लिए निमंत्रण के कुछ उदाहरण नीचे अंकित किया जा रहा है जो इस प्रकार हैं-

(a) दुकानदार द्वारा मूल्य सूची प्रदर्शित करना प्रस्थापना के लिए निमंत्रण है।

(b) मूल्य सम्बन्धी पूछ-ताछ के प्रत्युत्तर में दिये गये न्यूनतम मूल्य का विवरण प्रस्थापना के लिए निमंत्रण है।

(c) वस्तुओं के विक्रय व नीलाम का विज्ञापन प्रस्थापना के लिए निमंत्रण है

(d) निविदा (Tender) की सूचना प्रस्थापना के लिए निमंत्रण होता होता है।

(e) रेलवे की समय सारणी प्रस्थापना के लिए निमंत्रण होता है।

Scanned with CamScanner